

	<p>सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त का कार्यालय .केंद्रीय राजस्व भवन, क्वीन्स रोड, बेंगलूर 560001 OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS; BENGALURU ZONE; C.R. BUILDING: QUEEN'S ROAD: BENGALURU- 560 001 Tel: 080-22867990/22863714 FAX: 080-22862419/22868795 E-mail: ccu-cusblr@nic.in</p>	
---	--	---

सी. सं.C.No. VIII/48/124/2020 CCO-VI BCZ

दिनांक/Date: 05.06.2020

**लोक सूचना सं PUBLIC NOTICE No.6/2020**

[द.प.सं DIN – 20200672MR00006L5CAF]

विषय : नवीकरण कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए ए.ई. ओ.प्रमाण पत्र अवधि को बढ़ाने के संबंध में ।

Sub: Extension of validity of AEO certificates for ease of renewal process-reg.

\*\*\*

सीमा शुल्क के दिनांक 22.07.2016 के परिपत्र सं 33/2016 के पैरा 5.1 का संदर्भ लें जो सीमा शुल्क के दिनांक 17.1.2018 के परिपत्र सं 03/2018 के पैरा viii द्वारा संशोधित किया गया जो **ए.ई. ओ.प्रमाण पत्र की मान्यता** से संबंधित है और उसको निम्न प्रकार पढ़ें ।

Reference is drawn to Para 5.1 of Circular No. 33/2016-Customs dated 22.07.2016 amended vide para viii of Circular No. 03/2018-Customs dated 17.01.2018, which relates to **“Validity of AEO certificate”** and read as-

*“ए.ई.ओ टी 1 एवं ए.ई.ओ टी 2 के संबंध में ए.ई.ओ प्रमाण पत्र की मान्यता 3 वर्ष के लिए और ए.ई.ओ टी 3 एवं ए.ई.ओ टी -एल ओ के संबंध में 5 वर्ष है ।*

*The validity of AEO certificate shall be three years for AEO-T1 and AEO-T2, and five years for AEO-T3 and AEO-LO”*

2. बोर्ड के दिनांक 02.6.2020 के परिपत्र सं 27/2020 सीमा शुल्क द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त ए.ई.ओ को छोड़कर दिनांक 01.3.2020 और 31.5.2020 एवं 30.6.2020 के बीच की अवधि में समाप्त / समाप्त होनेवाले सभी ए.ई.ओ मान्यता प्रमाण पत्रों की अवधि को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है . Board vide Circular No. 27/2020-Customs dated 02.06.2020 has decided to extend the validity of all the AEO certificates expired/expiring between 01.03.2020 and 31.05.2020 to 30.06.2020, except for those entities against which a negative report is received during this period.

3. सभी व्यापार संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सुविधा को उसके लाभ/ सुविधा को प्राप्त करने हेतु अपने सदस्यों को सूचित करें ।

All the Trade Associations are requested to Communicate the above to the notice of their Members for claiming the benefit / facilitation.

4. इस संबंध में कोई तकलीफ/शंका हो तो संबंधित उसको ए.ई.ओ हेल्प डेस्क में ई मेल द्वारा निम्नलिखित ई मेल पता [ccu-cusblr@nic.in](mailto:ccu-cusblr@nic.in) या दूर भाषा सं 080-22863075 में संपर्क कर सकते हैं ।

Difficulties / doubts in this regard, if any, the concerned may email to AEO Help desk: [ccu-cusblr@nic.in](mailto:ccu-cusblr@nic.in) or contact 080-22863075

5. यह मुख्य आयुक्त महोदय के अनुमोदन के साथ जारी किया जा रहा है

This issues with the approval of the Chief Commissioner.

A. S. 5/6/2020

(अनिरुद्ध एस कुलकर्णी / ANIRUDHA.S.KULKARNI)

संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का) / JOINT COMMISSIONER (CCO)

To,  
All Concerned.

Copy to:

1. The Pr.Commissioner of Customs, Airport & ACC/City Customs and Mengaluru.
2. The ADC/JC, Appraising (Import), Airport & ACC/City Customs and Mengaluru.
3. The EDI Section – for publication in Bengaluru Customs Website.
4. Notice Board.